

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-17/2016/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-3 के शीर्षक “सामान्य प्रशासन विभाग” के अन्तर्गत सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“15.	तकनीकी सहायक	रु.5200-20000 +ग्रेड वेतन 2800 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-7)	(क) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/नॉन इंजीनियरिंग:- किसी मान्यता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थान से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिये। अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव सहित सक्षमता प्रमाणपत्र होनी चाहिये। (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होनी चाहिये।”
------	--------------	--	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 4-17/2016/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 08-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 8th October 2020

NOTIFICATION

No. F 4-17/2016/18.— In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

After serial number 14 and entries relating thereto under the Heading “General Administration Department” of Schedule-III, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15.	Technical Assistant	Rs.5200-20000+ Grade Pay 2800 (Pay Matrix Level-7)	(a) Engineering Technology/ Non-Engineering :- Should have Diploma in related subject with second division from any recognized Polytechnic Institute. Or Should have Competency Certificate in related trade from Industrial Training Institute with experience of minimum five years. (b) Should have Graduation degree in Science with Second Division from any recognized University.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.